

मामलों का विवरण

रूपेश मंगर (टीएचएपीए) बनाम.

सिकिम का राज्य

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 2069-2070) सितंबर 13, 2023

[जे. बी. पारदीवाला और प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के बरी करने के आदेश को उलट दिया और अपीलार्थी-अभियुक्त यू/एस को दोषी ठहराया। 302 आई. पी. सी., क्या अपीलार्थी-अभियुक्त का मामला यू/एस अपवाद के अंतर्गत आता है। 84 आई. पी. सी. का या नहीं।

दंड संहिता, 1860-अपीलार्थी -अभियुक्त ने पीड़ित-मृतक पर धारदार हथियार से हमला किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी-अपीलार्थी ने पागलपन का अनुरोध किया:

आयोजित किया गया: प्रारंभिक जाँच के दौरान, सी. डब्ल्यू.-1-डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि अस्पताल द्वारा तैयार किए गए अभियुक्त के मामले के इतिहास को देखते हुए, अपीलार्थी का पहले तीव्र और क्षणिक मनोविकृति के लिए इलाज किया गया था-इस गवाह की राय के अनुसार, अपीलार्थी -अभियुक्त को मनोविकृत विशेषता के साथ बड़ा अवसादग्रस्तता विकार था-जाँच में, अपीलार्थी -अभियुक्त को बोधगम्य श्रवण मतिभ्रम के कारण आंशिक रूप से बिगड़ा हुआ निर्णय पाया गया था-निर्धारित दवाएं अभियुक्त की मनोरोग संबंधी बीमारियों के लिए थीं और बीमारी फिर से शुरू हो गई थी और कभी भी हमले की पूरी संभावना थी-उपरोक्त चिकित्सा साक्ष्य के अलावा, हमले के समय अपीलार्थी -अभियुक्त का असामान्य/पागल व्यवहार-उसके क्रॉस में।

578

रूपेश मंगर (थापा) बनाम स्टेट ऑफ सिकिम 580

14 चिकित्सकीय रूप से उसकी जाँच की गई और पाया गया कि वह चिकित्सकीय रूप से किसी मनोदैहिक पदार्थ के प्रवाह के तहत प्रतीत होता है-यह भी देखा जाता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा मृतक पर एक तेज धार वाले हथियार से हमला करने के बाद, जिसे बाद में पीडब्लू-1 द्वारा छीन लिया गया था, वह मृतक की गर्दन से विंडपाइप निकालने की कोशिश कर रहा था जो पहले से ही काट दी गई थी-अपीलार्थी-अभियुक्त की यह कार्रवाई अजीब और असामान्य थी-यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत है कि वह घटना के समय पागलपन से पीड़ित था-इसलिए, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को रद्द करने में गलती की। [पैरा 16, 17 और 18]

अपील-अपीलीय न्यायालय-बरी किए जाने के फैसले को उलटना:

आयोजित किया गया:यह तय किया जाता है कि बरी किए जाने के निर्णय को अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल तभी उलट किया जा सकता है जब विकृति हो और साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर अलग दृष्टिकोण नहीं हो-यदि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष प्रशंसनीय है, केवल इसलिए कि साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर दूसरा दृष्टिकोण संभव है, तो अपीलीय न्यायालय को बरी किए जाने के निर्णय को बाधित नहीं करना चाहिए और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करना चाहिए।[पैरा 24]

दंड संहिता, **1860** -धारा **84**-कानूनी पागलपन और चिकित्सा पागलपन-पर चर्चा की गई।

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973**-अध्याय **XXV**-पर चर्चा की गई।शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

दहियाभाई छगनभाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य [1964] 7 एससीआर 361; प्रकाश नई उर्फ सेन बनाम गोवा राज्य (2023) 5 एससीसी 673-आश्रित

पर।

राजस्थान राज्य बनाम अब्दुल मन्नान (2011) 8 एससीसी 65:[2011] 7 एस. सी. आर. 1099; देवीदास लोक राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) 7 एस. सी. सी. 718:[2018] 7 एससीआर 767; रतन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1970) 3 एससीसी 533:[1971] 3 एस. सी. आर. 251; सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य (2011) 11 एस. सी. सी. 495: [2011] 1 एससीआर 133; हरि सिंह गोंड बनाम एम. पी. राज्य (2008) 16

एससीसी 109:[2008] 12 एससीआर 949; बापू बनाम राजस्थान राज्य (2007) 8 एससीसी 66:[2007] 7 एस. सी. आर. 917-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 2069-2070।

2020 की आपराधिक अपील No.08 में गंगटोक में सिक्किम उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.08.2022 और 05.09.2022 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

ए. सिराजुद्दीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, तिलक राज पासी, सत्यपाल खुशाल चंद पासी, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

समीर अभ्यंकर, सुश्री वाणी वंदना छेत्री, सुश्री निशी संगतानी, सुश्री सुगंध राठौर, नमन जैन, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा, जे।

1. ये अपीलें 2020 की आपराधिक अपील संख्या 08 में गंगटोक में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषी ठहराए जाने के फैसले और सजा के आदेश की वैधता और वैधता पर सवाल उठाएंगी, जिसमें उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया है और अपीलकर्ता-आरोपी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.' के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने अपने दादा कृष्ण बहादुर राय (जिसे इसके बाद 'मृतक' कहा जाता है) की हत्या की थी। मृतक की बेटी रीता राय (पीडब्लू-1) ने पुलिस को सूचित करते हुए कहा कि उसके 81 वर्षीय पिता (मृतक) जो उसके साथ रह रहे थे, की धारदार हथियार (पतंग) से हत्या कर दी गई थी।

3. जाँच पूरा होने पर, अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 17 गवाहों से पूछताछ की। हालाँकि, मुकदमा शुरू होने से पहले ही 581

रूपेश मंगर (थापा) बनाम स्टेट ऑफ सिक्किम

[प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 582

अपीलार्थी-अभियुक्त ने पागलपन की याचिका दायर की। इसके बाद, उन्हें उनकी मानसिक स्थिति की जांच के लिए एसटीएनएम अस्पताल, गंगटोक की मनोरोग इकाई में भेजा गया, जिसे सलाहकार न्यूरो साइकियाट्रिस्ट डॉ. नेत्र थापा (सीडब्ल्यू-1) द्वारा संचालित किया गया था। हालाँकि, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अपनी जाँच में पागलपन के बचाव का स्पष्ट रूप से अनुरोध नहीं किया गया है, जिसमें वह मुख्य रूप से घटना की घटना के बारे में अज्ञानता का दावा करेगा; साथ ही, इस बात से इनकार करता है कि उसने अपने दादा (मृत) पर हमला किया था।

4. विचारण न्यायालय ने मामले को आई. पी. सी. की धारा 84 के दायरे में माना और रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी-अभियुक्त मानसिक अस्वस्थता के

कारण अपने कार्यों की प्रकृति को जानने में असमर्थ था और यह अत्यधिक संभावना है कि वह इस बात से अनजान था कि वह क्या कर रहा था या तो गलत था या कानून के विपरीत था। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को बरी कर दिया, जिसके खिलाफ सिक्किम राज्य ने एक अपील को प्राथमिकता दी, जो क्रमशः दोषसिद्धि के विवादित निर्णय और दिनांक 24.08.2022 और 05.09.2022 के सजा के आदेश द्वारा अनुमोदित है।

5. श्री ए. सिराजुद्दीन ने शुरुआत में ही अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने विद्वान कि बरी किए जाने के फैसले को अपीलार्थी न्यायालय द्वारा केवल तभी पलटा जा सकता है जब विकृति हो और साक्ष्य की पुनः प्रशंसा पर अलग दृष्टिकोण नहीं हो। उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत अभियुक्त के बरी होने के तथ्य से मजबूत होती है और यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि यदि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो उस मामले में, अभियुक्त के पक्ष में एक को न्यायालय द्वारा अपनाया जा सकता है। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने राजस्थान राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

बनाम अब्दुल मन्नान **1.**

6. इसके बाद विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि अपीलकर्ता-अभियुक्त घटना के समय भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 84 के दायरे में अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति था। एक व्यक्ति के पागलपन का तथ्य जो उसे अपने कार्य की प्रकृति को जानने से रोकता था, उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के आचरण से विचार किया जाना चाहिए। एकमात्र मानदंड

1 (2011) 8 एससीसी 65

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

साबित करें कि इस तरह की पागलपन "उचित संदेह" है और यह मानदंड अच्छी तरह से अनुमोदित है।

देवीदास लोक राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य **2** के मामले में इस न्यायालय द्वारा।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री समीर अभ्यंकर ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय अपीलार्थी-अभियुक्त के चिकित्सा अभिलेखों और अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच के बाद सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलार्थी-अभियुक्त का मामला आई. पी. सी. की धारा 84 द्वारा बनाए गए अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है।

8. अपीलार्थी-अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ प्रतिवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने

के बाद, हमारे विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी-अभियुक्त का मामला आई. पी. सी. की धारा 84 के तहत अपवाद के दायरे में आता है या नहीं।

9. यह तथ्य कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की थी, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी समवर्ती रूप से स्थापित किया गया है, इसलिए हम इस संबंध में साक्ष्य पर बहुत संक्षिप्त चर्चा करेंगे।

10. पीडब्लू-1 (रीता राय) मृतक की बेटी है और अपीलार्थी-अभियुक्त की चाची भी है। उसने एफ. आई. आर. दर्ज की और स्पष्ट रूप से बयान दिया कि मृतक उसके घर में रहता था। मृतक अपनी बड़ी बहन के घर दशहरा मनाने गई थी और अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ

15.10.2016 पर गाँव रोलेप में अपने घर लौटी थी। लगभग आई. डी. 1 बजे वह घर के बर्तन धोने के लिए पास की एक पानी की धारा में गई थी और किसी को 'आया आया' कहते हुए सुना था और कुछ अजीब आवाज भी सुनी थी जैसे 'च्यक च्यक'। वह अपने घर वापस चली गई और अपीलार्थी-अभियुक्त को मृतक की ओर धारदार हथियार को निशाना बनाते हुए देखा। आरोपी के साथ संघर्ष करने के बाद उसने उससे हथियार छीन लिया लेकिन मृतक को उसके चेहरे और गर्दन पर खून से लथपथ देखा। अपीलार्थी-अभियुक्त पहले ही उसके पिता पर हमला कर चुका था। वह आगे बयान देगी कि हथियार छीनने के बाद उसने इसे कुछ छड़ सामग्री के नीचे छिपा दिया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसने फिर से आरोपी को मृतक की गर्दन पर हाथ रखकर उसकी गर्दन से विंडपाइप निकालने की कोशिश करते हुए देखा।

2 (2018) 7 एससीसी 718 583

रूपेश मंगर (थापा) बनाम स्टेट ऑफ सिक्किम

[प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 584

मृत जो पहले से ही काटा गया था। उसने अपीलार्थी-अभियुक्त को मृतक से अलग कर दिया।

11. पीडब्लू-13 (गीता छेत्री) पीडब्लू-1 की चिल्लाहट सुनकर घटना स्थल पर पहुंची थी। जब वह मृतक के घर पहुंची, तो उसने अपीलार्थी-आरोपी को मृतक की गर्दन खींचते हुए देखा। जिरह के दौरान उपरोक्त दोनों गवाहों के बयानों को ध्वस्त या हिलाया नहीं गया है।

12. पीडब्लू-14 (डॉ. सिद्धांत बासनेट) ने मृतक की जांच की जब उसे सिंगतम पीएचसी में मृत लाया गया, जिसने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित दृश्यमान घाव पाए:

(ए) 05 x 06 x 05 सेंटीमीटर मापने वाले गले (कटा हुआ गला) का घाव; (बी) दाहिनी आंख के पार्श्व कैन्थस के लिए घाव-पार्श्व 0.5 x 2 सेंटीमीटर; (सी) ठोड़ी के दाहिने हिस्से का घाव 0.5 x 7 सेंटीमीटर;

(घ) दाहिने कंधे पर घाव 04 x 05 सेमी।

13. पीडब्लू-15 (डॉ. ओ. टी. लेप्चा) ने शव परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्शनी-11) में निम्नलिखित पूर्व-शव परीक्षण चोटें पाया:

(ए) दाहिनी ओर के चेहरे पर 5 सेमी नीचे और दाहिनी आंख के बगल में रैखिक आकार की चोट (7.5 x 0.5 सेमी);

(बी) ऊपर की चोट संख्या (ए) के साथ रखी गई स्पिंडल के आकार की चीरा चोट (3 x 0.5 सेमी);

(ग) दाहिनी ओर के हिस्से पर स्पिंडल के आकार की चीरा लगी चोट (7 x 0.8 x मांसपेशी)।

(घ) थाइरॉइड उपास्थि के ठीक ऊपर लगी चोट (10 x 3 सेमी) को काटें और ऊपरी सीमा (7 x 1 सेमी) पर बेवेल्ड मार्जिन के साथ। चोट में त्वचा, मांसपेशियां, दोनों तरफ की जुगुलर और कैरोटिड वाहिकाएं और श्वासनली (कटा हुआ; और

(ई) कंधे/भुजा के दाहिने ऊपरी छोर पर घाव (7 x 3 सेमी) को काटें।

14. पीडब्लू-1 और पीडब्लू-13 के साक्ष्य और प्रस्तुत किए गए चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर, यह पूरी तरह से साबित होता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने मृतक पर धारदार हथियार से हमला किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

असुरक्षा का मुद्दा

15. शुरुआत से ही, अपीलार्थी-अभियुक्त ने पागलपन की याचिका दायर की है और अपनी याचिका के समर्थन में अपनी माँ गीता मंगर (राणा) (डी. डब्ल्यू.-1) से पूछताछ की है। इस याचिका पर विचार करने के लिए हम इसके बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर चर्चा करेंगे।

16. अपीलार्थी-अभियुक्त के चचेरे भाई पीडब्लू-2 (अजय राय) ने अपनी जिरह के दौरान स्वीकार किया कि अपीलार्थी-अभियुक्त देहरादून में पढ़ रहा था और उसे वापस सिक्किम लाया गया था क्योंकि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित था। पीडब्लू-1 भी इस तथ्य को स्वीकार करता है। हालाँकि, उन्हें यह नहीं पता था कि अपीलार्थी-अभियुक्त को उसकी मानसिक बीमारी के कारण देहरादून से सिक्किम वापस लाया गया था या नहीं। पीडब्लू-7 (विकास राय) और पीडब्लू-8 (दल बहादुर राय) भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अपीलार्थी-आरोपी को किसी बीमारी के कारण सिक्किम वापस लाए जाने के बारे में सुना था। डी. डब्ल्यू.-1 (अभियुक्त की माँ) अपने बेटे की मानसिक बीमारी के बारे में बताती है। इस गवाह के अनुसार, वर्ष 2015 में, उसके एक दोस्त ने उसे फोन किया कि अपीलकर्ता-आरोपी बीमार पड़ गया है, और वह अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है। तदनुसार, उन्हें वापस सिक्किम लाया गया। उन्हें इलाज के लिए कुछ

भूकंप/आध्यात्मिक चिकित्सकों के साथ-साथ लामा/पुजारी के पास भी ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें मनोचिकित्सक द्वारा इलाज के लिए सेंट्रल रेफरल (मणिपाल) अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में एक सप्ताह के बाद, उन्हें वापस लाया गया, और उन्हें अपनी मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखने के लिए लगातार दवाएं लेने की सलाह दी गई। यह साक्ष्य सी. डब्ल्यू.-1 (डॉ. नेत्र थापा) के साक्ष्य से पुष्टि करता है, जिनकी शुरुआत में विचारण न्यायालय द्वारा 04.05.2017 पर जांच की गई थी। प्रारंभिक जाँच के दौरान, इस गवाह ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि केंद्रीय रेफरल (मणिपाल) अस्पताल, टाडोंग द्वारा तैयार किए गए आरोपी के मामले के इतिहास को देखते हुए उसका पहले तीव्र और क्षणिक मनोवैज्ञानिक विकार डब्ल्यू. ई. एफ. 05.10.2015 से 10.10.2015 के लिए इलाज किया गया था। इस गवाह की राय के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त को मनोविकृत विशेषता के साथ प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार है। जाँच पर, अपीलार्थी-अभियुक्त को बोधगम्य श्रवण संबंधी मतिभ्रम के कारण आंशिक रूप से बिगड़ा हुआ निर्णय पाया गया। जब इस गवाह ने आई. डी. 1 पर विचारण न्यायालय के समक्ष फिर से पूछताछ की और उससे जिरह की गई तो उसने केंद्रीय रेफरल (मणिपाल) अस्पताल द्वारा जारी अपीलार्थी-अभियुक्त के आरोपमुक्त करने के सारांश को साबित कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें निर्धारित दवाएं आरोपी की मनोरोग संबंधी बीमारियों के लिए थीं और बीमारी फिर से हो सकती थी और किसी भी समय हमले की पूरी संभावना होती है।

रूपेश मंगर (थापा) बनाम स्टेट ऑफ सिक्किम

585

[प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 586

17. उपरोक्त चिकित्सा साक्ष्य के अलावा, हमले के समय और उसके तुरंत बाद अपीलार्थी-अभियुक्त का असामान्य/पागल व्यवहार ध्यान देने योग्य है। अभियोजन पक्ष के स्टार गवाह, पीडब्लू-1 (रीता राय) ने कहा कि अपीलकर्ता-आरोपी मृतक से बहुत प्यार करता था और वह मृतक से बहुत प्यार करता था। इसी तरह, पीडब्लू-13 के साक्ष्य से पता चलता है कि जब वह मौके से जा रही थी, तो अपीलार्थी-आरोपी उसके पास आया और पूछा कि मैंने अपने दादा के साथ क्या किया है। अपनी जिरह में, वह स्वीकार करती है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसे यह भी बताया कि उसे नहीं पता था कि उसने अपने दादा/मृतक के साथ क्या किया था। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे अन्य ग्रामीणों ने कहा है कि जब वे मौके पर पहुंचे तो अपीलकर्ता-आरोपी मौजूद था और वहां से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। अपीलार्थी-अभियुक्त का यह व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति का नहीं था।

18. जब अपीलार्थी-अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, तो पीडब्लू-14 ने उसकी चिकित्सकीय जांच की और पाया कि वह चिकित्सकीय रूप से किसी मनोदैहिक पदार्थ के प्रवाह के तहत प्रतीत होता है। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि अपीलार्थी-अभियुक्त (प्रदर्शनी-डी) के निर्वहन सारांश में, उसे लोराजेपाम गोली निर्धारित की गई थी जो एक चिंता निवारक एजेंट होने

के अलावा एक मनोदैहिक पदार्थ है। यह भी देखा जा सकता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा मृतक पर एक तेज धार वाले हथियार से हमला करने के बाद, जिसे बाद में पीडब्लू-1 द्वारा छीन लिया गया था, वह मृतक की गर्दन से विंडपाइप निकालने की कोशिश कर रहा था, जो पहले से ही कटी हुई थी। अपीलार्थी-अभियुक्त की यह कार्रवाई अजीब और असामान्य थी। यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत है कि घटना के समय वह पागलपन से ग्रस्त था।

19. आई. पी. सी. की धारा 84 में प्रावधान है कि:

“84. अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कार्य-ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो ऐसा करते समय, मन की अस्वस्थता के कारण, कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, या कि वह वही कर रहा है जो या तो गलत है या कानून के विपरीत है।”

20. यह तय किया जाता है कि पागलपन या पागलपन को साबित करने के लिए प्रमाण का मानक केवल 'उचित संदेह' है। इसके लिए, हम एक निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

"दह्याभाई छगनभाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य" 3 में इस न्यायालय का

3 (1964) 7 एससीआर 361

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

जिसमें, आई. पी. सी. की धारा 84 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 4, 101 और 105 में निहित साक्ष्य के नियम का उल्लेख करते हुए इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया: “यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है कि एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और इसलिए, अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इसलिए, हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे साबित करेगा कि आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में वर्णित अपेक्षित इरादे से मौत का कारण बना। यह सामान्य बोझ कभी नहीं बदलता है और यह हमेशा अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है। लेकिन, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में प्रावधान है कि कुछ भी अनुचित नहीं है यदि आरोपी उस कार्य को करने के समय, मानसिक अस्वस्थता के कारण अपने कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था या वह क्या कर रहा था या तो गलत था या कानून के विपरीत था। यह एक अपवाद होने के कारण, साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत मामले को उक्त अपवाद के भीतर लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का बोझ अभियुक्त पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव को मान लेगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत, जिसे इसकी धारा 4 में “मान लिया जाएगा” की अवज्ञा के सहपठित पढ़ा जाता है, न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव को तब तक मानती है जब तक कि उसके सामने के मामलों पर विचार करने के बाद, यह विश्वास नहीं करता है कि उक्त परिस्थितियां मौजूद थीं या उनका अस्तित्व इतना संभावित था कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों

में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि वे मौजूद थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो अभियुक्त को इस धारणा का खंडन करना होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद नहीं थीं, न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करके कि वह उक्त परिस्थितियों के अस्तित्व पर इतनी संभावना से विचार करे कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति उन पर कार्रवाई करेगा। अभियुक्त को "विवेकपूर्ण व्यक्ति" के मानकों को पूरा करना होता है। यदि सामग्री न्यायालय के समक्ष रखी गई हो। जैसे, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, अनुमान, स्वीकार या यहां तक कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य, यदि "विवेकपूर्ण व्यक्ति" की परीक्षा को संतुष्ट करते हैं, तो अभियुक्त ने अपना बोझ कम कर दिया होगा। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत बोझ का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक न्यायाधीश के मन में एक या एक अन्य आवश्यक सामग्री के संबंध में एक उचित संदेह पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह न्यायाधीश के मन में एक उचित संदेह पैदा कर सकता है कि क्या अभियुक्त का अपेक्षित इरादा 587 था।

रूपेश मंगर (थापा) बनाम स्टेट ऑफ सिक्किम

[प्रशांत कुमार मिश्रा, जे.] 588

एस में। 299 भारतीय दंड संहिता। यदि न्यायाधीश को इस तरह का उचित संदेह है, तो उसे अभियुक्त को बरी करना होगा, क्योंकि उस स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को निर्णायक रूप से साबित करने में विफल रहा होगा। सामान्य बोझ, जो हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है, और जो कभी नहीं बदलता है, और विशेष बोझ जो आरोपी पर पागलपन का बचाव करने के लिए होता है, के बीच कोई टकराव नहीं है।

पागलपन की दलील के संदर्भ में सबूत के बोझ के सिद्धांत को निम्नलिखित प्रस्तावों में कहा जा सकता है: (1) अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे यह साबित करना चाहिए कि अभियुक्त ने अपेक्षित पुरुष कारण के साथ अपराध किया था, और यह साबित करने का बोझ हमेशा मुकदमे की शुरुआत से अंत तक अभियोजन पक्ष पर निर्भर करता है। (2) एक खंडन योग्य धारणा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 द्वारा निर्धारित अर्थों में, जब आरोपी ने अपराध किया था, वह पागल नहीं था: अभियुक्त न्यायालय के समक्ष सभी प्रासंगिक साक्ष्य-मौखिक, दस्तावेजी या परिस्थितिजन्य प्रस्तुत करके इसका खंडन कर सकता है, लेकिन उस पर साक्ष्य का भार दीवानी कार्यवाही के पक्षकार पर निर्भर करता है। (3) भले ही अभियुक्त निर्णायक रूप से यह स्थापित करने में सक्षम नहीं था कि अपराध करने के समय वह पागल था, अभियुक्त या अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्य से अभियुक्त के पुरुष अधिकार सहित अपराध के एक या अधिक घटकों के संबंध में न्यायालय के मन में उचित संदेह पैदा हो सकता है और उस मामले में न्यायालय अभियुक्त को इस आधार पर बरी करने का हकदार होगा कि अभियोजन पक्ष पर साक्ष्य का सामान्य बोझ नहीं छोड़ा गया था।”

21. उपरोक्त प्रस्ताव को इस न्यायालय द्वारा देवीदास में दोहराया गया है।

लोक राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य 4 और रतन लाल बनाम। मध्य प्रदेश राज्य 5

22. सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य **6**, हरि सिंह गोंड बनाम एम. पी. **7** और बापू बनाम राजस्थान राज्य **8** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि

एक अभियुक्त जो धारा **84** के तहत किसी अधिनियम के दायित्व से दोषमुक्ति चाहता है

4 (2018) 7 एससीसी 718 5 (1970) 3 एससीसी 533 6 (2011) 11 एससीसी 495 7 (2008) 16 एससीसी 109 8 (2007) 8 एससीसी 66

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

आई. पी. सी. को कानूनी पागलपन साबित करना होगा न कि चिकित्सा पागलपन। चूंकि दंड संहिता में पागलपन या मन की अस्वस्थता शब्द की अवहेलना नहीं की गई है, इसलिए यह अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग अर्थ रखता है और मानसिक विकार की अलग-अलग डिग्री का वर्णन करता है। कानूनी पागलपन और चिकित्सा पागलपन के बीच एक अंतर किया जाना चाहिए। न्यायालय कानूनी पागलपन से संबंधित है न कि चिकित्सा पागलपन से।

23. प्रकाश नई उर्फ सेन बनाम गोवा राज्य **9** के मामले में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में उपरोक्त सिद्धांतों को दोहराने के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** के अध्याय **XXV** में निर्धारित प्रक्रिया स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी नहीं किया जा सकता है जब तक कि कार्य वास्तव में नहीं किया जाता है। पूरा विचार एक अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने में सुविधा प्रदान करना है, न केवल उसकी तर्क क्षमता के कारण, बल्कि उसे विकलांग व्यक्ति के रूप में भी माना जाता है। न्यायालय की भूमिका उपचारात्मक उपायों को पूरा करना और पूर्ण न्याय करना है। इस न्यायालय ने पैरा **17** में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“**17.** वर्ष **2009** में संशोधनों के माध्यम से शामिल किए गए प्रावधानों सहित न्यायालय प्रक्रिया संहिता के अध्याय **XXV** के दायरे और दायरे को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि आई. पी. सी. की धारा **84** के तहत मामले पर विचार करते समय अदालत की बड़ी भूमिका है। यदि मुकदमे के दौरान एक दोस्ताना दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है, जब अदालत को किसी आरोपी को अस्वस्थ दिमाग के आधार पर आरोपमुक्त करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो जब आई. पी. सी. की धारा **84** की बात आती है तो उसी तर्क को बहुत बलपूर्वक लागू करना होगा। **24.** उपरोक्त के अलावा, यह ध्यान देने योग्य नहीं है कि वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलार्थी-अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था और उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर अपील पर बरी करने के फैसले को उलट दिया है।

यह तय किया जाता है कि बरी किए जाने के फैसले को अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल तभी उलट दिया जा सकता है जब विकृति हो और साक्ष्य की पुनः प्रशंसा पर अलग दृष्टिकोण नहीं

हो। यदि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष प्रशंसनीय है, केवल इसलिए कि साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर दूसरा दृष्टिकोण संभव है, तो अपीलीय न्यायालय को बरी होने के निर्णय में बाधा नहीं डालनी चाहिए और

9 (2023) 5 एससीसी 673 589

रूपेश मंगर (थापा) बनाम स्टेट ऑफ सिक्किम

[प्रशांत कुमार मिश्रा, जे।]

अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अपने स्वयं के आदेशों को प्रतिस्थापित करें। राजस्थान राज्य देखें।

बनाम अब्दुल मन्नान (ऊपर)।

25. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के निर्णय को उलट दिया था और अपीलार्थी को मुख्य रूप से साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषी ठहराया था कि विचारण न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 84 के लाभ को बढ़ाने में गलती की थी, यहां तक कि यह भी दर्ज किए बिना कि विचारण न्यायालय का निर्णय विकृत है।

26. अपीलार्थी-अभियुक्त की मानसिक बीमारी और घटना के समय उसके असामान्य व्यवहार के बारे में चिकित्सा साक्ष्य सहित विचारण न्यायालय द्वारा चर्चा किए गए साक्ष्य के आलोक में, यह प्रतीत नहीं होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विकृत था या यह बिना किसी साक्ष्य के आधारित था। इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए बरी किए जाने के फैसले को दरकिनार करके गलती की है।

27. हम, तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.08.2022 के विवादित निर्णय और दिनांक 05.09.2022 के आदेश को अपास्त करनाते हैं और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.10.2018 के बरी किए जाने के फैसले को लागू करते हैं। हम, तदनुसार, अपील की अनुमति देते हैं और अपीलार्थी -अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत आरोप से बरी करते हैं। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो अपीलार्थी को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान